न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– ......275... / 2024

1. भागीरथी पत्नी रामकुमार जाति स्वामी निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. विमला देवी पुत्री रामकुमार जाति स्वामी निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. राजेन्द्र प्रसाद स्वामी पुत्र रामकुमार जाति स्वामी निवासी बुचावास तहसील तारानगर।
4. विजेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति स्वामी निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू।
5. सिलोचना पुत्री रामकुमार जाति स्वामी निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय

दिनांक 31.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास के खसरा सं. 1158 तादादी 11.5955 हेक्ट., खसरा सं. 1159 तादादी 0.3288 हैक्ट. कुल तादादी 11.9243 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी भागीरथी का नाम भागी देवी, प्रार्थीया विमला का नाम भीला, प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद स्वामी का नाम राजेन्द्रप्रसाद, प्रार्थी विजेन्द्र सिंह का नाम विजेन्द्रकुमार व प्रार्थीया सिलोचना का नाम शीला अंकित है जो गलत है, प्रार्थीगण के दस्तावेजीय नाम क्रमशः भागीरथी, विमला, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, विजेन्द्र सिंह व सिलोचना हैं। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पैन–कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में उनके नाम भागीरथी, विमला, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, विजेन्द्र सिंह व सिलोचना अंकित है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। अतः कृषि भूमि रोही बुचावास के खसरा सं. 1158 तादादी 11.5955 हेक्ट., खसरा सं. 1159 तादादी 0.3288 हैक्ट. कुल तादादी 11.9243 हैक्ट. में प्रार्थीगण के नाम भागीरथी, विमला, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, विजेन्द्र सिंह व सिलोचना अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के सही नाम भागीरथी, विमला, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, विजेन्द्र सिंह व सिलोचना होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन–कार्ड से प्रार्थीगण के दस्तावेजीय नाम भागीरथी, विमला, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, विजेन्द्र सिंह व सिलोचना होना पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में भागी देवी, भीला, राजेन्द्रप्रसाद, विजेन्द्रकुमार व शीला अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः न्यायहित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास के खसरा सं. 1158 तादादी 11.5955 हेक्ट., खसरा सं. 1159 तादादी 0.3288 हैक्ट. कुल तादादी 11.9243 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के अंकित नाम क्रमशः **भागी देवी, भीला, राजेन्द्रप्रसाद, विजेन्द्रकुमार, शीला Delete** कर इसके स्थान पर क्रमशः **भागीरथी, विमला, राजेन्द्र प्रसाद स्वामी, विजेन्द्र सिंह व सिलोचना** अंकित दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)